# बिहार सरकार
# जल संसाधन विभाग
# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
# तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर

E-Mail I.D :- eetcdhajipur@gmail.com

## भाड़े पर वाहन लेने हेतु पुनः अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या – (NIQ) 02/2026–27

पत्रांक ............................/हाजीपुर                                        दिनांक ..............................

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/वितरणियों/अवर प्रमंडलों/प्रशाखाओं के निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यो हेतु भाड़े पर कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर हेतु 01 (एक) अदद बोलेरो निम्नाकिंत शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालिन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे बंद लिफाफे में दिनांक **21.04.2026** को **03:00** बजे अपराहृण तक तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 03:30 बजे अपराह्ण में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेगें।

### तकनीकि निविदा शर्त्त

1. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
2. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी0 एस0 टी0, पैन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
3. निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

| क्र0 | वाहन का प्रकार | इंधन रहित मासिक भाड़ा |
|---|---|---|
| | | |

# नियम एवं शर्ते

1. भाड़े पर वाहन मार्च 2027 तक लिया जायेगा।
2. वाहन मॉड्ल 2017 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यंवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
4. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
8. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रतिदिन ईधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन चालक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
10. मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय वैशाली, हाजीपुर जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या न्यूनतम कोटेशन दाता के साथ रुाये 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यक नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
11. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।

12. गरमा, खरीफ एवं रब्बी अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात समय में अत्यधिक होता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।
13. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेगें।
14. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वें तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुणा दर से कटौती कर ली जायेगी।
15. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।
17. भुगतान के समय विपत्र से नियमानुकूल कटौति की जायेगी।
18. खरीफ/रब्बी अबधि में एक से अधिक गाड़ी भी भाड़े पर लिया जायेगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 17 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेगें। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लौटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।

शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

Muzaffar Imam 6/04/26

(ई0 मोजफ्फर इमाम)
कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर

06/04/26

पत्रांक 598/हाजीपुर — दिनांक 06.04.2026

प्रतिलिपि :– सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनर्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु तथा लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानिय दैनकि समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित किया जाता है।

Muzaffar Imam 6/04/26

(ई0 मोजफ्फर इमाम)
कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर

06/04/26